

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर, दिनांक:

1 SEP 2021

आदेश

स्थानीय नगरीय निकायो में EWS/LIG/MIG-A आवासो के आवंटन में आ रही विभिन्न कठिनाईयों के कारण लम्बित प्रकरणों में त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने हेतु एवं आवंटन से संबंधित यथा ब्याज/पेनल्टी व अन्य संबंधित समस्याओं के निराकरण बाबत प्रभावी कार्यवाही संपादित करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. श्री वी.के. दाधीच, विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय (समन्वयक)
2. परियोजना निदेशक (हॉउसिंग), रूडसिको
3. संबंधित स्थानीय निकायों के अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता
4. संबंधित प्रोजेक्ट के विकासकर्ता

उक्त समिति प्रगति एवं की गई कार्यवाही से प्रति सप्ताह राज्य सरकार को अवगत करवायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष ग्रेगरी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. डॉ. जी. एस. संधु, (सेवानिवृत्त आईएएस), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. श्री वी.के. दाधीच, विशेषाधिकारी, माननीय मंत्री महोदय (समन्वयक)
7. परियोजना निदेशक (हॉउसिंग), रूडसिको
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम